18/4/2019

पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना-पत्र तथा हस्तगत अपील के मेंटेनेबल होने बाबत उभय पक्ष को सुना गया। अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटस मुस्लिम विधि से शासित हैं। अपीलांटगण रेस्पोंडेंट सं० 1 की संतान एवं पत्नी हैं। अपील के कथनों पर विचार किया जिसमें साफ जाहिर है कि रेस्पोंडेंट सं० 1 अहमद के जीवन काल में ही उसके द्वारा धारित विवादित आराजी (सम्पत्ति) ~~में~~ उसकी संतान एवं पत्नी ने अपना हक निहित होने का दावा किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दि 01-04-2019 देखा गया। मामले में विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं परीक्षण किया गया है। मुस्लिम विधि के आलोक में अपील विधि से वर्जित होने के कारण पोषणीय ही नहीं ठहरी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज किया गया है जिसमें कोई त्रुटि या विसंगति नहीं है। अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया मुस्लिम विधि सम्मत है इसलिए उसमें कोई दखल की गुंजाइश ही नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विधि के प्रावधानों के तहत हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner